



IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH,

GWALIOR

100
अग-1209-II-16

CASE NO. / 2016 Revision

Applicant/Petitioner

1. Devendra Yadav S/o Imrat Singh Yadav
Age - 25 years Occupation- Agriculturist ,
R/o Village Palothar Tehsil & District Datia
M.P.
2. Jitendra Kumar Yadav S/o Raghuveer Singh
Yadav, Age - 28 years, Occupation
Agriculturist , R/o Village Pachar District
Jhansi at present R/o Village Palothar Tehsil
& District Datia M.P.

V/s

Non Applicant/ Respondent




1. Mu. Shantala Wd/o Late Shri Jwala
Singh Adiwasi
2. Ganga Singh Adiwasi,
3. Lekhpal Adiwasi Both S/o Late Shri
Jwala Singh Adiwasi
4. Kamla Adiwasi,
5. Ilaichi Adiwasi
6. Kashmiri Adiwasi all 4 to 6 are D/o Late
Shri Jwala Singh Adiwasi and all R/o
Village Palothar Tehsil & District Datia
M.P.



Revision petition arising out of order Dated 04.04.2016 passed by Sub
Divisional Officer Datia M.P. in case no. 35/A/15-16 application
wherein an application under section 5 of the Limitation Act filed by
the respondents has been allowed without considering the objections
made by the petitioner, Vide Annexure-p-1, Hence this revision
petition.

MAY IT PLEASE THIS HON'BLE COURT,

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निगरानी 1209-दो/2016 जिला-दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाकों आदि के हस्ताक्षर
22.1.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री रवि चौधरी एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04.04.16 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 28/02/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 28/2/19 <u>कलेक्टर जिला दतिया</u></p>	<p style="text-align: right;">  28.2.2019  </p> <p style="text-align: center;">  सदस्य </p>